न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 03/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री दीपक प्रसाद शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा उम्र 47 (एफबीओ/मालिक)– फर्म मैसर्स शर्मा एन्टरप्राईजेज, राव जी की हवेली, बागड़ चौक के पास, जोधपुर, नया पता–अजय चौक, सुरेश स्टेशनरी के पास, जोधपुर। निवासी :– सीताराम बेबी पार्क के पास, श्री रामस्वरूप का मकान, बागड चौक, जोधपुर।

(2) श्री नवीन पारख पुत्र श्री पुखराज पारख उम्र 38 (थोक एफबीओ/मालिक) फर्म–मैसर्स–अंकिता एन्टरप्राईजेज, सदर बाजार, धान मण्डी, महामंदिर, जोधपुर, निवासी–**धारीवाल स्ट्रीट, महामंदिर, जोधपुर।**

(3) श्री विकास गोयल पुत्र श्री कृष्ण चंद गोयल (निर्माता/मालिक) फर्म–मैसर्स–गोयल सन्स, गली नं. 3–4, पारसराम नगर, संदीप पार्क पास, तंगवाली गुरूद्वारा के पास, भंटिण्डा, पंजाब।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.05.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मैसर्स शर्मा एन्टरप्राईजेज, राव जी की हवेली, बागड़ चौक के पास, जोधपुर स्थित दुकान में 1 लिटर के 15 पैकेट्स के 4 कार्टूनों में वनस्पति ऑयल (हाईड्रोजिनेटेड, वेजी. ऑयल, रिफा. ऑयल (मोम मैजिक) कुकिंग मिडियम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त वनस्पति ऑयल (हाईड्रोजिनेटेड, वेजी. ऑयल, रिफा. ऑयल (मोम मैजिक) कुकिंग मिडियम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 800/– नगद देकर 1 लिटर के 4 पैकेट्स खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा वनस्पति ऑयल (हाईड्रोजिनेटेड, वेजी. ऑयल, रिफा. ऑयल (मोम मैजिक) कुकिंग मिडियम के चारो पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1774 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1774 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1774 सील चपड़ी किया उसका

मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि वनस्पति ऑयल (हाईड्रोजिनेटेड, वेजी. ऑयल, रिफा. ऑयल (मोम मैजिक) कुकिंग मिडियम के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1774 की जॉंच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉंच रिपोर्ट एल.एस. /335/एक्ट/2018/364 दिनांक 10.05.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के Test for Vitamin A नेगेटिव पाये जाने के कारण अमानक स्तर तथा लेबल पर The specific name of Refined oil and Vanaspati oil used in the mixture not mentioned on the lable of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2.2(C) of Food Safety and Standards (Packaging adn Labelling) Regulations, 2011 and Category or Sub-category of food under which it falls in these regulations is not mentiond on the label Contravention of Regulation No. 2.12.1(3) of Food Safety adn Standards (Food Products Standards ad Food Additive) Regulation, 2011 and Expressions "Low cholesterol, Low fat and Low saturated fat" given on the label of sample. Contravention of Regulation No 2.4.2(1) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011 होना पाये जाने के कारण मिथ्याछाप पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1774 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का जवाब पेश। जवाब में 1 व 2 की ओर से निवेदन किया की उन्होनें माल निर्माता अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स गोयल एण्ड सन्स भटिण्डा से खरीदा है तथा उनके द्वारा ही माल तैयार किया गया है। जिसे गैरसायल संख्या 2 को सील्ड बंद माल भेजा। जिस टीन को ही गैरसायल 1 को भेजा गया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 निर्माता ने अपने जवाब में बताया की वनस्पति का नमूना जांच हेतु भेजा गया। जो मानव शरीर के लिए घातक नहीं है केवल विटामिन ए का नहीं होना पाया है। नमूने को गर्म करने से विटामिन ए लुप्त हो सकता है। अतः कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट एलएस एल.एस./335/एक्ट/2018/364 दिनांक 10.05.2018 का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस व एफएसओ को भी सुना गया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) एवं धारा 52 के संबंध में कोई प्रति उत्तर पेश नहीं किया। जिससे अप्रार्थीगण उक्त धारा के दोषी हैं तथा धारा 51 के संबंध में लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 10.05.2018 का अवलोकन किया गया। जिसमें वर्णित अनुसार प्रकरण में उपरोक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के Test for Vitamin A नेगेटिव पाये जाने के कारण तथा लेबल पर The specific name of Refined oil and Vanaspati oil used

in the mixture not mentioned on the lable of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2.2(C) of Food Safety and Standards (Packaging adn Labelling) Regulations, 2011 and Category or Sub-category of food under which it falls in these regulations is not mentiond on the label Contravention of Regulation No. 2.12.1(3) of Food Safety adn Standards (Food Products Standards ad Food Additive) Regulation, 2011 and Expressions "Low cholesterol, Low fat and Low saturated fat" given on the label of sample. Contravention of Regulation No 2.4.2(1) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011 पाये जाने से अमानक एवं मिथ्याछाप पाया गया। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये 8000/–अक्षरे रूपये आठ हजार, अप्रार्थी संख्या 2 पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर शास्ती रूपये 15000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 19.08.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियत तिथी में शास्ती राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के मार्फत भू–राजस्व की तरह वसूली की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर (राज.) को भेजकर लेख है कि आदेशों की पालना निश्चित समयावधि में सुनिश्चित करें।
3. श्री दीपक प्रसाद शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा उम्र 47 (एफबीओ/मालिक)– फर्म मैसर्स शर्मा एन्टरप्राईजेज, राव जी की हवेली, बागड़ चौक के पास, जोधपुर, नया पता–अजय चौक, सुरेश स्टेशनरी के पास, जोधपुर। निवासी :– सीताराम बेबी पार्क के पास, श्री रामस्वरूप का मकान, बागड चौक, जोधपुर।
4. श्री नवीन पारख पुत्र श्री पुखराज पारख उम्र 38 (थोक एफबीओ/मालिक) फर्म–मैसर्स–अंकिता एन्टरप्राईजेज, सदर बाजार, धान मण्डी, महामंदिर, जोधपुर, निवासी–धारीवाल स्ट्रीट, महामंदिर, जोधपुर।
5. श्री विकास गोयल पुत्र श्री कृष्ण चंद गोयल (निर्माता/मालिक) फर्म–मैसर्स–गोयल सन्स, गली नं. 3–4, पारसराम नगर, संदीप पार्क पास, तंगवाली गुरूद्वारा के पास, भंटिण्डा, पंजाब।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2019.08.20 15:28:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: